

आईजीआरएससन्दर्भ सं०-20016824006976

1	आवेदक/शिकायतकर्ता का नाम व पता व मोबाइल नंबर ----- श्रीमती रेखा वर्मा पत्नी रामकेश वर्मा निवासी ग्राम शिवनी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर जालपता पनकी कानपुर नगर मो०-8765430629	
2	विपक्षी का नाम पता व मोबाइल नंबर----- कल्लू माली उर्फ अयोध्या प्रसाद पुत्र शिवपाल माली निवासी ग्राम शिवनी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर मो०-8874178501	
3	आवेदक व विपक्षी का सम्बन्ध	ग्रामवासी ।
4	शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत का विवरण----- विपक्षी द्वारा आवेदिका के रुपये न देने आदि के संबन्ध में	
5	जाँच करने वाले अधिकारी का नाम व पद	उ०नि० श्री राकेश कुमार यादव थाना कुरारा जनपद हमीरपुर मो०-9473769119
6	घटना स्थल के निरीक्षण का दिनांक व समय	15.09.2024
7	शिकायतकर्ता का बयान----- आवेदिका द्वारा बताया गया कि मैं ग्राम शिवनी की रहने वाली हूँ, मैं इस समय अपने परिवार के साथ पनकी कानपुर नगर में रह रही हूँ। मेरे द्वारा ग्राम शिवनी के रहने वाले कल्लू माली पुत्र शिवपाल माली के खिलाफ मेरे रुपये न देने आदि के संबन्ध में शिकायत की गयी थी। उसके ऊपर मेरे 132000/- रुपये थे, जिनमें से उसके द्वारा 120000/- रुपये मुझे दे दिये गये हैं, तथा शेष रुपये जल्दी ही देने की बात कही है, इसलिये मैं अपनी शिकायत में कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं चाहती हूँ। मेरे द्वारा की गयी शिकायत में अब कोई भी कानूनी कार्यवाही न की जाये।	
8	आरोपी व्यक्तियों के बयान-----विपक्षी कल्लू द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा अपने गाँव के रहने वाली रेखा वर्मा पत्नी रामकेश वर्मा से 132000/- रुपये लिये थे। जिसमें से मेरे द्वारा उनके 120000/- रुपये वापस कर दिये गये हैं, शेष 12000/- रुपये दिसम्बर माह की 10 तारीख तक दे दूंगा। अगर मैं तय समय पर रुपये व दूँ तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर दी जाये।	
9	निष्पक्ष/स्वतंत्र गवाहों के बयान	मलखान पुत्र श्री श्यामलाल मो०-9936126687
10	अभिलेखीय साक्ष्य----- विपक्षी द्वारा दी गयी तहरीर ।	
11	मेडिकल रिपोर्ट का विवरण	-
12	जांच का सारांश/निष्कर्ष----- महोदय निवेदन है कि उक्त प्रा०पत्र की जाँच मुझ उ०नि० द्वारा मौके पर जाकर की गयी तो जांच से पाया गया कि आवेदिका श्रीमती रेखा वर्मा पत्नी रामकेश वर्मा ग्राम शिवनी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर की रहने वाली हैं, जो वर्तमान समय में पनकी कानपुर नगर में रह रही हैं, तथा विपक्षी कल्लू उर्फ अयोध्या प्रसाद भी उसी गाँव का ही रहने वाला है। आवेदिका द्वारा विपक्षी कल्लू माली उर्फ अयोध्या प्रसाद पुत्र शिवपाल माली उपरोक्त के विरुद्ध आवेदिका के रुपये न देने आदि के संबन्ध में शिकायत की गयी है। आवेदिका द्वारा की गयी शिकायत के संबन्ध में जानकारी करने पर पाया गया कि आवेदिका रेखा उपरोक्त के विपक्षी कल्लू उर्फ अयोध्या उपरोक्त द्वारा 132000/- रुपये लिये गये थे, जिसमें से 120000/- रुपये विपक्षी कल्लू उर्फ अयोध्या उपरोक्त द्वारा आवेदिका उपरोक्त को दे दिये गये हैं, तथा शेष 12000/- रुपये 10 दिसम्बर 2024 तक देने की बात कही है। जिस बात पर दोनों पक्ष सहमत हो गये हैं। विपक्षी द्वारा उपरोक्त संबन्ध में लिखित तहरीर भी दी गयी है, जो संलग्न जांच आख्या है। जिस कारण प्रा०पत्र में किसी भी कानूनी कार्यवाही का औचित्य नहीं है। विपक्षी द्वारा दी गयी समक्ष गवाहान तहरीर संलग्न है। आख्या अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है।	
13	जांच से आवेदक द्वारा आरोप सिद्ध हो रहे हैं या नहीं	उपरोक्तानुसार
14	पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण	बिन्दु संख्या 12 के अनुसार
15	अन्य कोई कार्यवाही	-
16	घटना स्थल निरीक्षण की फोटो	-

श्रीमान जी,

संस्तुति सहित अग्रसारित है।

प्रभारी निरीक्षक
थाना कुरारा
जनपद - हमीरपुर

(राकेश कुमार यादव)
उ०नि०
थाना कुरारा, हमीरपुर
जनपद हमीरपुर

सेवा में,

सीमान प्रभारी निरिक्षक गधेवरा
धाना - कुरारा जन-छोरपुर

महोदय,

उत्तराह कथना है कि प्राची कल्लुर्ध अमोद्या प्रसाद 5/0 एवं शिवपाल
निवासी ग्राम. शिवनी धाना कुरारा जन-छोरपुर का कुल निवासी है।
प्राची ने जमीन राजस्व के माध्यम से गांव के ही रैव्या नमा 1/0
रामकेश वर्मा से 1,32,000 (एक लाख बत्तीस हजार रुपये) किसे दो जितने
से उसे 1,20,000 रु वापस का कोये है शेष 12,000 रु
में प्राद विनम्या के 10 तारिख तक दे दगा इस बात पर हम
दोनों पक्षों का जलिये दुल्लाध वाला हुई है जिससे वह
इस बात पर सहमत है अगर में शेष रुपये कोये गये
हमय पर नहीं देता है तो मेरे उत्तर मानुनी कार्यवाही की
जावे।

दिनांक 05/11/24

का.रु.रु

प्राची

गवाह - ① भलजान 5/0 श्री श्यामलाल
मो - 9936126687

कल्लुर्ध अमोद्या प्रसाद 5/0 शिवपाल
ग्राम - शिवनी
धाना - कुरारा
जन - छोरपुर
मो - 8875412501